Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Appeal Case No.- 39/2024]

Anshu Bharti.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.10.2026	**आदेश** यह आपूर्ति अपील वाद अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-13491/2024 में दिनांक-19.06.2025 को पारित आदेश के द्वारा मधेपुरा जिला के घैलाढ़ प्रखंड अन्तर्गत झिटकिया पंचायत में नये जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु चयन के विरूद्ध इस न्यायालय के आपूर्ति अपील वाद संख्या-39/2024 में दिनांक-20.07.2024 को पारित आदेश को रद्द करते हुए Remand Back किये जाने के आलोक में पुनर्सुनवाई हेतु लाया गया। दिनांक- 08.11.2025 को सभी सम्बद्ध पक्षों के अंतिम बहस के पश्चात आदेश पर लिया गया किन्तु महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-6755 दिनांक-11.11.2025 के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA No-758/2025 (मीणा प्रवीण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) की सूचना प्राप्त होने पर इस वाद में Final Order पारित नहीं किया गया। LPA No-758/2025 में दिनांक-01.05.2026 को पारित आदेश के आलोक में इस वाद को पुनः सुनवाई पर लेते हुए दिनांक-09.09.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। **आयुक्त न्यायायलय, कोशी प्रमंडल, सहरसा के आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्या-39/2024 में दिनांक-20.07.2024 को पारित आदेश :-** 1. उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुनने एवं विशेष लोक अभियोजक आपूर्ति की बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय अभिलेख के परिशीलनोपरान्त स्पष्ट है कि विपक्षी गुलफ्शा प्रवीण द्वारा आवेदन में कम्प्यूटर जानकारी नहीं होना बताया गया था। बाद में कार्यालय के मिली-भगत से कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र लगाया गया। उनके द्वारा सुधार हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया था और आवेदन को स्वअभिप्रमाणित भी नहीं किया गया था। 2. वर्णित स्थिति में अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए विपक्षी गुलफ्शा प्रवीण का चयन रद्द करते हुए मीणा प्रवीण का चयन यथावत माना गया। 3. साथ ही सक्षम प्राधिकार को आदेश दिया गया कि गुलफ्शा प्रवीण को चयन मुक्त करते हुए अंशु भारती को अनुज्ञप्ति जारी करना सुनिश्चित किया जाए। **गुलफ्शा प्रवीण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि -** 1. उनके तथा मीणा प्रवीण के पास इण्टरमीडिएट की समान योग्यता है। 2. उनका कथन है कि उनके तथा मीणा प्रवीण दोनो के द्वारा भरे गये फॉर्म में कम्प्यूटर ज्ञान का कॉलम खाली रखा गया है। 3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार उनकी जन्मतिथि 05.01.1996 है तथा विपक्षी मीणा प्रवीण की जन्मतिथि 18.01.1996 है। इस प्रकार वे विपक्षी मीणा प्रवीण से आयु में बड़ी हैं।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा सत्यमेव जयते

4. बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश-2016) के नियम 9(v) के तहत अधिक आयु वाले व्यक्ति को PDS डीलर के दुकान के लिए चुना जाना चाहिए था लेकिन पूर्व के आदेश में इस पर विचार नहीं किया गया था और मीणा प्रवीण का चयन कानून के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत पाया गया।
5. उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निर्देशों के आलोक में आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

मीणा प्रवीण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि -

1. गुलफ्शा प्रवीण ने 'पिछड़ा वर्ग महिला' के अन्तर्गत आवेदन किया था और उसका चयन हुआ था। विपक्षी मीणा प्रवीण ने अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया था और उसका चयन हुआ था। इसके अतिरिक्त गुलफ्शा प्रवीण और अंशु भारती एक ही श्रेणी अर्थात 'पिछड़ा वर्ग महिला' के अन्तर्गत आवेदक थे। अतः दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। लेकिन किसी भी स्थिति में उन दोनों आवेदकों की समानता मीणा प्रवीण से नहीं थी।
2. विपक्षी राज्य द्वारा जारी अंतिम मेधा सूची में केवल तीन उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित किये गये थे- 1. मीणा प्रवीण 2. गुंजन कुमारी और 3. अंशु भारती, जिन्हें चयनित घोषित किया गया था। गुलफ्शा प्रवीण का नाम अंतिम मेधा सूची में नहीं था। बावजूद इसके अधिकारियों के मिली-भगत से उन्होंने चयन करवा लिया, जबकि वह चयन के योग्य भी नहीं थी।
3. बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश-2016) का नियम 9(v) उनके तथा गुलफ्शा प्रवीण के बीच आरक्षण श्रेणी के अन्तर के कारण लागू नहीं होता है।
4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी गुलफ्शा प्रवीण के मैट्रिक प्रमाण-पत्र में उनकी जन्म तिथि 05.01.1996 है, जबकि उनके द्वारा समर्पित चरित्र प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि 09.01.1996 है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र में जन्मतिथि 01.12.1996 दर्ज है। इस प्रकार गुलफ्शा प्रवीण के द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है। इस प्रकार गुलफ्शा प्रवीण की जन्मतिथि विवादित है। अतः वे किसी प्रकार के राहत के हकदार नहीं है।
5. इन्टरमीडिएट में मीणा प्रवीण को 68.20 प्रतिशत, गुलफ्शा प्रवीण को 52.20 प्रतिशत तथा अंशु भारती को 50.60 प्रतिशत अंक प्राप्त है और ये उम्मीदवार अलग-अलग श्रेणियों से सम्बद्ध रखते हैं। इसलिए चयन के उद्देश्य से इनकी आपस में सीधी तुलना नहीं की जा सकती।
6. गुलफ्शा प्रवीण के ससुर आटा चक्की मील चलाते हैं जो कि एक और अयोग्यता है। इसलिए उसे PDS अनुज्ञप्ति नहीं दिया जाना चाहिए।

अंशु भारती के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि -

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-13491/2024 में पारित आदेश दिनांक-19.06.2025 के अवलोकन से श्रीमान को स्पष्ट होगा कि अंशु भारती के चयन एवं निर्गत अनुज्ञप्ति को बरकरार रखा गया है एवं नियमित रूप से कार्य करने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार उक्त वाद में उन्हें पक्षकार के रूप में नोटिस निर्गत करना समीचीन नहीं है। चूँकि मामला मात्र गुलफ्शा प्रवीण व मीणा प्रवीण के बीच का है अतः इसी दोनों को सुनकर श्रीमान को निर्णय करना है।

आयुक्त न्यायालय क्षेत्रीय प्रभाग, सहरसा

CWJC No-13491/2024 में पारित आदेश दिनांक-19.06.2025 के विरूद्ध अभ्यर्थी मीणा प्रवीण द्वारा एल0पी0 ए0 वाद सं0- 758/2025 दाखिल किया गया जिसमें दिनांक 01.05.2026 को पारित आदेश में मीणा प्रवीण के भी दावों को सुनने हेतु अनुतोष प्रदान किया गया है।

सभी सम्बद्ध पक्षों के Final बहस को सुनने, अभिलेख पर रक्षित पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य कागजात एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त कागजात के परिशीलनोपरांत निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होता है,जो विचारणीय है :-

1. अभ्यर्थी गुलफ्शा प्रवीण द्वारा अपने आवेदन में अति पिछड़ा वर्ग की महिला हेतु आरक्षण का दावा किया गया है। चयन समिति द्वारा पूर्व में गुलफ्शा प्रवीण का चयन पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि से किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा चयनमुक्त करते हुए उनके स्थान पर अभ्यर्थी अंशु भारती जो एक पिछड़ा वर्ग की महिला है, को कम्प्यूटर योग्यता के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आदेश पारित किया गया था। उक्त पारित आदेश के संदर्भ **CWJC No-13491/2024 में पारित आदेश दिनांक-19.06.2025 में अंकित है कि** It is also made clear that the license which is issued in favour of the Respondent No. 6 shall not be disturbed and the Respondent No. 6 shall be allowed to continue as PDS dealer.....यह दृष्टिगत होता है कि अभ्यर्थी अंशु भारती का चयन नियमानुकूल किया गया है।
2. अभ्यर्थी मीणा प्रवीण का चयन उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप अनारक्षित कोटि से हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा पिछड़ा वर्ग की महिला पद की मात्र एक उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध थी, जिसके लिये दो अभ्यर्थी यथा गुलफ्शा प्रवीण एवं अंशु भारती द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था। अभ्यर्थी अंशु भारती का चयन उक्त पद के लिये किया जा चुका है। वर्णित स्थिति में पिछड़ा वर्ग की महिला पद की रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की दशा में अभ्यर्थी गुलफ्शा प्रवीण को विना किसी सम्यक जॉच के अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना समचीन प्रतीत नहीं होता है।
3. **CWJC No-13491/2024 में पारित आदेश दिनांक-19.06.2025 में अंकित है कि** A perusal of Rule 9(v) of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016 reveals that in order to be appointed as PDS dealer. the candidate should have the necessary qualification, (1) the applicant should be matric pass, (2) preference should be given to the person having computer knowledge and in case of equality of the highest qualification, then the age of the person should be taken into consideration and the older person should be appointed. Admittedly in this case both the petitioner as well as the Respondent No. 7 are having matric pass but in so far as the computer knowledge is concerned, both have kept the column for computer knowledge blank. Therefore, the next criteria that has to be seen, is who is older person among the applicants. Admittedly in this case both the petitioner as well as the Respondent No. 7 are having equal qualification, i,e intermediate. A division Bench of this Hon'ble Court has held that the higher qualification in Rule 9(v) pertains to the computer knowledge and not to any other degree, therefore, the only criteria that the Divisional Commissioner outh to had taken into consideration was as to whether who is the older person amongst the petitioner and the Respondent No. 7 which was not done in this case.
4. विपक्षी मीना प्रवीण का यह कहना है कि गुलफ्शा प्रवीण के ससुर आटा चक्की मील चलाते हैं जो कि एक और अयोग्यता है। इसलिए उसे PDS अनुज्ञप्ति नहीं दिया जाना चाहिए। उक्त दावे के विरूद्ध गुलफ्शा प्रवीण द्वारा कोई अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत मामले को जिला चयन समिति को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निदेश दिया जाता है कि जिला चयन समिति की बैठक आहुत करते हुए संबंधित पक्षों द्वारा समर्पित दावों एवं दस्तावेजों के सम्यक जाँचोपरांत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगें। उक्त

प्रक्रिया अधिकतम 04 सप्ताह में पूर्ण करना सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी जाय तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।